

कार्यालय उप तहसीलदार(राजस्व) मुकलावा

मुकदमा नम्बर : ३५

सन : २०१९

सरकार बनाम ~~श्रीमती राजेश्वरी पुत्रा~~ ~~बीराम~~
~~जाति~~ ~~किशोरी~~ ~~साठे.८~~

निर्णय

दिनांक:- ३१/०१/१९

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित/उपस्थित नहीं अप्रार्थी को सुना गया। अप्रार्थी पर नोटिस की तामि हो चुकी है। बावजूद तामिल के उपस्थित न होने के कारण अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व गिरदावर हल्का अप्रार्थी ने चक ११.८ के मु०न० १ किला नं० — के कुल १.१३९ हैक्टे० रकबा नहरी/बारानी राजकीय भूमि को फसल रबी/खरीफ ख०सं० २०१५ में अनाधिकृत काश्त कर राजकीय भूमि पर अतिचार किया है। अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट १९५४ की धारा २२ के तहत दण्डनीय है। अप्रार्थी के इस कृत्य के लिए उसे उक्त धारा के अन्तर्गत दण्डित किया जाना न्यायोचित है। अतः मालगुजारी १.५० प्रति हैक्टे० — का तावान ५० गुणा राशि ८५/- के दण्ड से दण्डित कर उक्त रकबे से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
उक्त भूमि की फसल ~~निलामी हेतु एक फसि निलामी अस्तुत~~
~~करने हेतु १२ री निलम्बा जमा।~~

पटवारी हल्का की मतालबा ढालबाछ सम्बन्धित में कायम करने एवं तावान वसूल करने तथा उक्त रकबे से बेदखल कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेश जारी है। तहसील राजस्व लेखाकार के रजिस्टर 'घ' में मांग दर्ज कराई जावे। पत्रावली फैसलशुमार की जाती है। बाद तरतीब तकमीन दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

उपतहसीलदार (राजस्व)
मुकलावा